



339/11

दूरभाष - 2286709

2286710

नव केतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2467 / 05 / 76 / एक / 2015-16

दिनांक : ०९ सितम्बर 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-गोण्डा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	20282094066	IFSC Code ALLA 0212499	230.525

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 07 में बाबू मेडिकल स्टोर से गन्ना दफ्तर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.758
2	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 06 रफीकनगर में बंगाली मिरत्री से उपाध्याय आयरन स्टोर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	5.858
3	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 05 में सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक से स्टेशन चौराहा तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.007
4	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 04 शास्त्री नगर में चन्द्रा की दुकान से मंगल भवन नर्सरी तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.007
5	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 01 पटेल नगर में पंचायती मन्दिर मोड़ से चोपड़ा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	7.506
6	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 09 गायत्री नगर में मनकापुर ब्लाक से बैंक ऑफ बड़ौदा तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.207
7	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 09 गायत्री नगर में मारुति आर०के०वी०के० से सी०वी० सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.004
8	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 09 गायत्री नगर में सिद्धार्थ मेमोरियल से पंकज बुक डिपो तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.506
9	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 09 गायत्री नगर में औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.004
10	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 04 शास्त्री नगर में डा० प्रशान्त श्रीवास्तव के दुकान से पप्पू गौर्या तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.253
11	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 08 आजाद नगर में चोपड़ा के मकान से चौक मोड़ तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	8.256
12	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 06 रफीकनगर में हार्डवेयर से राकेश सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	10.349





338/2

दूरभाष- 2266/09

2286710

नव कोना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
13	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 08 आजाद नगर में राकेश सिंह के दुकान से मरिजद मोड़ तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.011
14	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 03 में फोटो स्टूडियो से सूर्य नारायण सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.011
15	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 05 में गुप्ता इलेक्ट्रानिक से इलाहाबाद बैंक तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.758
16	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 01 पटेल नगर में नवरंग ग्लास हाउस से पंचायती मन्दिर रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.758
17	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 09 गायत्री नगर में गायत्री मन्दिर से होण्डा एजेन्सी तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	5.929
18	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 04 शारत्री नगर में स्टेशन रोड पी०डब्ल्यू०डी० सड़क से कर्बला इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	12.011
19	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 04 शारत्री नगर में विजय के घर से लाल मुन्ना पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	1.502
20	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 01 पटेल नगर में नीतू जैन के मकान से मदन सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	10.509
21	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 05 आजाद नगर में नवाबगंज मार्ग से इण्डियन गैस गोदाम तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	2.997
22	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 04 शारत्री नगर में पोस्ट आफिस से स्वराज ट्रैक्टर रोड तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.004
23	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 04 शारत्री नगर में शंकर सहाय के मकान से बजाज एजेन्सी तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.506
24	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 01 पटेल नगर में बीकू होम्योपैथिक स्टोर में मूर्तिकला जयपुर वाले तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.459
25	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 02 जवाहर नगर में सोनू खाँ के घर से साइनिंग टेलर के घर तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	1.609
26	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 01 पटेल नगर में नवरंग ग्लास हाउस से किशोरी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.758
27	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 01 पटेल नगर में जे०पी० स्कूल रोड से महिन्द्रा एजेन्सी तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	6.004
28	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 03 गांधीनगर में पूरे हृदय मार्ग से कमलाकान्त के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	11.502
29	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 10 सुभाष नगर में सरदार मोहर सिंह के घर से हनुमान प्रसाद के दुकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	7.506
30	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 09 गायत्री नगर में भरत खाद भण्डार से विनय सिंह की दुकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	9.011
31	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 06 रफीनगर में रफीक कुरैशी के मकान से पप्पू राईन तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	2.762
32	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० मनकापुर	वार्ड न० 04 शारत्री नगर में कन्या प्राथमिक विद्यालय से पोस्ट आफिस तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	6.006





529/3

पूरुभाष - 2286709

2286710

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
33	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न० ५० मनकापुर	वार्ड न० 05 आजाद नगर में नफीस खां के मकान से एस०पी० वर्मा के प्लॉट तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	9.197
	योग				230.525

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुरार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०सी० रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शाराकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि लूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमत्त न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



2286/4

दूरभाष - 2286709

2286710

नद घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

12-

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किस्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक